न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, हरदोई।

उपस्थित :- संजीव कुमार सिंह, (एच 0 जे0 एस 0)

(जे.ओ. कोड- यू.पी. 6025)

(सी.एन.आर.नं.- यू.पी.एच.आर. 010010332011)

सत्र परीक्षण संख्या**-387/2011**

राज्य बनाम राजू

20-03-2021

पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

श्री गजराज सिंह यादव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), हरदोई द्वारा प्रार्थनापत्र 56 अ, अन्तर्गत धारा 319 दं0 प्र 0 सं0, इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रस्तुत मामले में वादी राजू ने दिनांक 17-12-10 को थाना अतरौली में तहरीर देकर मुकदमा लिखाया था कि दिनांक 16-12-10 को रात 8 बजे जब वह अपने भाई प्रमोद के घर पर था तभी किसी ने प्रमोद को दरवाजे पर आवाज दी। आवाज पर वादी का भाई प्रमोद बाहर निकला तो देखा कि गांव के नान्हू, प्रताप तथा भटपुर के छुन्ना व रामनिवास ने जान से मारने की नियत से प्रमोद पर फायर कर दिया जो उसके दाहिने पैर की रान में लगा और वह गिर गया। शोर पर कलावती व गांव के लोग आ गये, ललकारा तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। विवेचक द्वारा दौरान विवेचना प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तों को निकाल दिया गया और वादी मुकदमा राजू के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत कर दिया गया। जबकि राजू ने विवेचक को दिये गये बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में एफ 0 आई 0 आर 0 में नामजद अभियुक्तगण द्वारा ही घटना कारित करना बताया। इसके अलावा श्रीमती कलावती ने भी चारों मुल्जिमान को भागते हुए देखने वाली बात विवेचक को बतायी थी। चोटहिल प्रमोद ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में चारों अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना कहा है। दौरान विचारण न्यायालय के समक्ष पी0 डब्लू01 प्रमोद, चोटहिल व पी0 डब्लू02 कलावती ने एफ 0 आई 0 आर 0 में नामित अभियुक्तगण द्वारा ही घटना कारित किया जाना बताया और प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया है। पी0 डब्लू03 को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है तथा पी0 डब्लू04 घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, इसलिए इस साक्षी का साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। वादी राजू एवं उसकी मां दोनों चोटहिल प्रमोद को थाने ले गये जहां पर राजू के द्वारा तहरीर देकर मुकदमा लिखाया गया। चोटहिल प्रमोद द्वारा जमीनी रंजिश के कारण नामजद अभियुक्तगण के द्वारा घटना घटित करना बताया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण नान्हू, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास को धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किया जाय।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 27-05-14 को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। दिनांक 29-10-14 को न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि प्रार्थनापत्र 56 अ का निस्तारण

विवेचक की साक्ष्य के पश्चात किया जायेगा। विवेचक रामनिवास को बतौर पी0 डब्लू05 तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक एच 0 सी0 पी0 रवीन्द्रनाथ को बतौर पी0 डब्लू06 परीक्षित कराया जा चुका है। अतः अब प्रार्थनापत्र 56 अ का निस्तारण किया जा रहा है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा राजू के द्वारा तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 17-12-10 को थाना अतरौली जिला हरदोई में मु0 अ 0 सं0 1235/10, धारा 307,506 भा0 दं0 सं0, नान्हू, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास के विरूद्ध इस आशय की पंजीकृत करायी गयी कि दिनांक 16-12-10 की रात समय करीब 8 बजे वह अपने भाई प्रमोद के घर पर मौजूद था तभी किसी ने उसके भाई प्रमोद को दरवाजे पर आवाज दी। आवाज पर वह तथा उसके भाई प्रमोद घर से बाहर निकले तो देखा कि गांव के नान्हू, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास बाहर खड़े थे। उन लोगों के बाहर निकलते ही दरवाजे पर खड़े उपरोक्त विपक्षीगण ने जान से मारने की नियत से उसके भाई प्रमोद पर फायर करना शुरू कर दिया। फायर उसके भाई के दाहिनी रान में लगा। फायर लगने से वह गिर गया। शोर पर उसकी मां कलावती व गांव के लोग आ गये तब विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

दौरान विवेचना वादी मुकदमा राजू के द्वारा अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया और इसी प्रकार प्रमोद द्वारा भी विपक्षीगण के द्वारा ही घटना कारित किया जाना कहा गया है और प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन किया गया है। परन्तु विवेचक द्वारा दौरान विवेचना प्रस्तुत मामले के वादी मुकदमा राजू के विरूद्ध आरोपपत्र अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 सं0 के अधीन प्रस्तुत किया गया।

दौरान विचारण अभियुक्त राजू के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 सं0 के अधीन विरचित किया गया। चोटहिल प्रमोद को बतौर पी0 डब्लू01 सशपथ परीक्षित कराया गया। चोटहिल प्रमोद के द्वारा न्यायालय के समक्ष दिये गये सशपथ बयान में यह कथन किया गया कि आज से करीब दस माह की बात है, समय 8 बजे रात का था, किसी ने मुझे दरवाजे पर आवाज दी। जब मैं बाहर निकला तो देखा कि नान्हू, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास बाहर खड़े हैं। इन चारों लोगों को मैं जानता पहचानता हूं। नान्हू व प्रताप मेरे गांव के रहने वाले हैं तथा छुन्ना व रामनिवास भटपुर के रहने वाले हैं। जैसे ही मैं दरवाजे पर निकल कर आया तभी उपरोक्त चारों लोगों ने जान से मारने की नियत से फायर कर दिया जो मेरे दाहिने पैर की जांघ में लगा। फायर लगने से मैं गिर गया। आवाज पर मेरे भाई राजू व मेरी मां कलावती व गांव के बहुत से लोग आ गये और ललकारा तब विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये।

चोटहिल प्रमोद की मां कलावती को बतौर पी0 डब्लू02 सशपथ परीक्षित कराया गया। इस साक्षी ने भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण नान्हू, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास के द्वारा उसके पुत्र प्रमोद को जान से मारने की

नियत से उस पर फायर करना कहा है।

रामस्वरूप को बतौर पी0 डब्लू03 सशपथ परीक्षित कराया गया परन्तु यह साक्षी पक्षद्रोही घोषित किया गया है और इसने अपने सामने कोई घटना होना नहीं कहा है। इसी प्रकार अभियोजन की ओर से एक अन्य साक्षी पी0 डब्लू04 अवधेश को परीक्षित कराया गया है। अवधेश ने किसी व्यक्ति को तमंचे से फायर करके प्रमोद को घायल करते हुए देखना नहीं कहा है बल्कि इस साक्षी ने कथन किया है कि राजू ने औरत के चक्कर में प्रमोद को फायर मारा था। जिरह में इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि मैंने गोली चलाते हुए किसी को नहीं देखा। मैंने 3 फायर की आवाज सुनी थीं, मैंने देखा नहीं था। मैं घटना के समय छत पर गेहूं बटोर रहा था। मैंने कुल 3 फायर की आवाज सुनी थी, मुझे बताया किसी ने नहीं था। अर्थात यह साक्षी घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है।

अभियोजन की ओर से विवेचक रामनिवास को बतौर पी0 डब्लू05 सशपथ परीक्षित कराया गया है इस साक्षी ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादी ने अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित करना कहा था तथा चोटहिल प्रमोद ने भी अपने बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण द्वारा ही गोली मारना बताया गया था। चोटहिल प्रमोद ने अपने प्रथम बयान के समय नान्हू, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास का नाम बताया था। मैंने स्वयं गवाहों के बयान व मुखबिर द्वारा बतायी गयी सूचना व घटना की परिस्थितियों को दौरान विवेचना देखते हुए वादी राजू के द्वारा ही घटना कारित करना पाया था और तहरीर में अंकित व्यक्तियों को फंसाये जाने के उद्देश्य से उन्हें मुल्जिम बनाया जाना पाया था।

प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र 0 सं0 में घटना का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त उसकी मां कलावती व चोटहिल प्रमोद के द्वारा भी प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित किया जाना कहा गया है। परन्तु विवेचक द्वारा स्वयं साक्षियों के बयान के आधार पर तथा परिस्थितियों को देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया अपितु प्रस्तुत मामले में वादी राजू के विरूद्ध ही आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है। विवेचक द्वारा उन स्वतंत्र साक्षियों, जिन साक्षियों पर विश्वास कर राजू के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत करना बताया गया है, के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य एकत्र करने का प्रयास नहीं किया गया कि वह स्वतंत्र साक्षी घटनास्थल पर घटना के समय मौजूद थे और उनके द्वारा घटना देखी गयी थी। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत मामले की घटना रात 8 बजे की है और चोटहिल प्रमोद के घर के दरवाजे की है। रात 8 बजे चोटहिल घर पर था। विवेचक के द्वारा उन स्वतंत्र साक्षियों, जिनके साक्ष्य के आधार पर विवेचक द्वारा वादी मुकदमा राजू को ही अभियुक्त बनाया गया है, के सम्बन्ध में ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी कि यह स्वतंत्र साक्षी घटना के समय किस तरह से चोटहिल प्रमोद के घर के पास मौजूद थे। अभियोजन की ओर से ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, जिसमे राजू के द्वारा चोटहिल प्रमोद को गोली मारकर घायल

करते हुए देखना कहा गया हो।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य व अन्य **2014 (3)** एस**0**सी**0**सी**0 92 (**एस**0**सी**0)** में प्रस्तावित अभियुक्तगण को धारा 319 दं0 प्र0 सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किए जाने के सम्बन्ध में व्यापक दिशा निर्देश अभिनिर्धारित किए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा व्यक्ति जिसका नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित नहीं है, यदि उसके विरूद्ध दौरान विचारण कोई साक्ष्य प्राप्त होती है तो उसे धारा 319 दं0 प्र0 सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किया जा सकता है। परन्तु ऐसा प्रस्तावित अभियुक्त, जिसको धारा 319 दं0 प्र0 सं0 के अधीन तलब किया जाना है, के विरूद्ध ऐसी साक्ष्य का होना आवश्यक है जिसका स्तर आरोप विरचित किए जाने के लिए प्रथम दृष्ट्या उपलब्ध साक्ष्य से अधिक होना चाहिए। परन्तु उसका स्तर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि यदि वह अकाट्य रहता है तो उससे अभियुक्त की दोषसिद्धि होना निश्चित हो। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ''साक्ष्य'' शब्द का विश्लेषण करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया साक्ष्य शब्द को विस्तृत अर्थ में समझा जाना चाहिए। जहां दृढ व अकाट्य साक्ष्य न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है वहां ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। परन्तु ऐसी शक्ति का प्रयोग मनमाने तरीके से नहीं किया जा सकता। जांच एवं विचारण के स्तर पर एकत्रित की गयी साक्ष्य के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसी साक्ष्य को सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

प्रस्तुत मामले में वादी मुकदमा के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में जिन अभियुक्तगण को नामित किया गया विवेचक के समक्ष उसने उन्हीं अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किया जाना अपने बयान में बताया है। इसके अतिरिक्त चोटहिल प्रमोद के द्वारा तथा चोटहिल प्रमोद की मां कलावती के द्वारा भी अपने-अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0 प्र0 सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित किया जाना कहा गया है। न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान भी चोटहिल प्रमोद, जिसे बतौर पी0 डब्लू01 सशपथ परीक्षित कराया गया है, ने अपने सशपथ बयान में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण द्वारा ही घटना कारित किया जाना कहा है। इसके अतिरिक्त पी0 डब्लू02 श्रीमती कलावती के द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के द्वारा ही घटना कारित किया जाना कहा गया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षी पी0 डब्लू03 रामस्वरूप को न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पी0 डब्लू04 अवधेश के द्वारा अपनी जिरह में स्वीकार किया गया कि उसने प्रमोद को गोली मारते हुए किसी को नहीं देखा था। जहां तक पी0 डब्लू05 विवेचक रामनिवास के सशपथ बयान का सम्बन्ध है विवेचक ने भी ऐसी किसी व्यक्ति का नाम अपने सशपथ बयान में नहीं बताया है जिसने राजू को घटना कारित करते हुए देखना कहा हो। विवेचक द्वारा मात्र स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य व मामले की परिस्थितियों को दृष्ट्गित रखते हुए की गयी विवेचना के आधार पर राजू के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया जाना कहा है और उसी आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत न किया जाना कहा है।

प्रस्तुत मामले में दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है उससे प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगा नान्हू, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास के विरूद्ध प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण को धारा 319 दं0 प्र 0 सं0 के अधीन विचारण हेतु तलब किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

श्री गजराज सिंह यादव, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), हरदोई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 56 अ तद्नुसार स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण नान्हूं, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास को धारा 307 भा0 दं0 सं0 के अधीन अभियुक्त राजू के साथ विचारण हेतु तलब किया जाता है। अभियुक्तगण नान्हूं, प्रताप, छुन्ना व रामनिवास के विरूद्ध समन जारी हों। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 14-04-21 को पेश हो।

(संजीव कुमार सिंह)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
हरदोई।